

श्रीमान् अंचलाधिकारी
कोडरमा अंचल ।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के सबंध में ।

महाराष्ट्र

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं राजीव कुमार मुहतेजा पिता श. लक्ष्मण मुहतेजा

ग्राम सुखदाश रोड सुमरी तिलेचपो सुमरी तिलेच थाना तिलेच

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा सुमरी
2. थाना तिलेच
3. थाना न० 12
4. खाता न० 348
5. प्लॉट न० 1102
6. रकबा 2.510
7. भूमि का किस्म ईशति
8. अघतन रसिद न० 0108220645 वर्ष - 2019-2020
9. दा० खारिज वाद संख्या 3684/2019-20

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

Rajesh Kumar

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या...176.../2023

आवेदक राजीव कुमार मुटनेजा पिता स्व० लेखराज मुटनेजा, साकिन-झुमरी तिलैया, गुरुद्वारा रोड़, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
गुमो	12	348	1102	2 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक176.../.....2023 को प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-348, प्लॉट सं०-1102, रकवा-2 डी० भूमि पंजी-II के पृष्ठ संख्या-26, भाग संख्या-57 पर राजीव कुमार मुटनेजा पिता स्व० लेखराज मुटनेजा के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-4418 दिनांक 02.12.2019 द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2019-20 तक निर्गत है। प्राधिकार कॉलम में दा० खा० वाद सं०-3684/2019-20 दर्ज है। शपथ पत्र संख्या-46 दिनांक 02.03.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-348, प्लॉट सं०-1102, रकवा-2 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।